अनुसूची 21—फारम सं० 113

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....तैयार किया जाना है।.....आवेदन सं०.....तैयार किया जाना है।.....

चूँकि श्री.....Surendra Kumar & others.....

.....

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे ।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता०.....19.....98.....से ता०.....Till date.....

तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला.....

.....चला है अत:जमाबंदी मुक्त है

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Mainpura P.S. - Phulpari S.Plot no - 1672 Khata no - 428 Tauzi no - 5236 Thana no - 2 Area - 4 Katha							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । बशर्तें की उनके बारे में उल्लेख हो ।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर) : [illegible]

(पदनाम) : [illegible]

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर) : [illegible]

(पदनाम) : [illegible]

कार्यालय : Patna

तारीख : 11.04.2013

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

11/4/13

टिप्पणी : इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं-किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें ।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बाहयों) और अनुक्रमाणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रख दी जायेगी ।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा ।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो ।

कार्यालय, जिला निबंधक Patna

ज्ञाप संख्या 3648 दिनांक 11.04.2013

आवेदक श्री Sikandra Kumar & others

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा Residence Manager HDFC Ltd. Patna

का उनके पत्र संख्या [illegible] दिनांक 9/4/13 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है ।

निबंधन पदाधिकारी,

11.4.2013

SPL-469/99-2,00,000